

न्यायालय-अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय प्रथम,भदोही-
ज्ञानपुर।

एम 0 ए 0 सी0 पी0 संख्या-01 सन् 2017

नन्हकी

बनाम

अवधेश कुमार

13.11.2019

पत्रावली पेश हुई । बार बार पुकार करायी गयी। कोई बोल नहीं रहा है, स्थगन प्रार्थनापत्र दिया गया है,जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया । इस समय अपरान्ह के 2-50 हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पक्षकार वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः याचिका पक्षकारों की अनुपस्थिति / अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

मोटर दुर्घटना दावा याचिका पक्षकारों की अनुपस्थिति / अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला जज/
एफ 0 टी0 सी0 प्रथम,
भदोही-ज्ञानपुर।